न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9562 दिनांक – 08.12.25

प्रार्थीगण बनाम

1 रावताराम पुत्र हरखाराम 2 वगतू पत्नि हरखाराम जाति जाट निवासी मेहरामपुरा, हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर।

अप्रार्थीगण

1 अनोपाराम पुत्र किस्तूराराम 2 ईशराराम 3 गेरोदेवी 4 जोगाराम 5 नारणाराम पिसरान पोकराराम 6 सेरू पत्नि पोकरराम 7 जुगताराम 8 रामा पिसरान गोमाराम 9 दूगी पत्नि आदूराम 10 ताजाराम 11 पोलाराम पिसरान तुलछाराम 12 नेनू पत्नि तुलछाराम 14 अमेदा 15 चैना 16 ठाकराराम पिसरान खरथाराम जाति जाट निवासी मेहरामपुरा 17 किस्ताराम पुत्र अमराराम 18 जेठाराम पुत्र शेराराम 140 पुरोदेवी पत्नि शेराराम 21 रूखमणाराम पुत्र शेराराम 22 लच्छाराम पुत्र बुधाराम 23 अचलाराम 24 गोकलाराम 25 डालुराम पिसरान कोशलाराम जाति जाट निवासी जांदुओ की नाडी 26 मोहनराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी डुगेरो का तला हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर 27 तहसीलदार बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 655/2025 दिनांक–26/11/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मेहरामपुर पटवार हल्का हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 723/520 रकबा 17.9599 हैक्टेयर, खसरा संख्या 710/386 रकबा 1.7321 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2025/ 9563 – 9566 दिनांक– 08.12.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते [illegible] अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी हाथीतला मादान तहसील बाड़मेर को भेजकर [illegible] निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करा[illegible]
3. प्रार्थीगण रावताराम पुत्र हरखाराम जाति जाट निवासी मेहराम[illegible] हाथीतला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण अनोपाराम पुत्र किस्तूराराम [illegible] जाति [illegible] निवासी मेहरामपुरा, हाथीत[illegible] तहसील व जिला बाड़मेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.09 17:46:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर